

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप-5/जीकेएन/उपापन/2015-16/ E.O. No. 92279 जयपुर, दिनांक: 13-04-2017

स्थायी आदेश संख्या- 31/2017

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी योजनाओं (महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित) के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे विकास कार्यों के सम्पादन व्यवस्था हेतु पूर्व में जारी निर्देश/परिपत्र/स्थायी आदेशों के क्रम में निम्नानुसार निर्देश/संशोधन जारी किये जाते हैं :-

1. विभिन्न विकास योजनाओं में निर्मित ग्रेवल सड़को में प्रतिवर्ष होने वाले संभावित क्षरण के आदेश दि. 10 फरवरी, 2012 को निरस्त कर ग्रामीण विकास मंत्रालय (महात्मा गांधी नरेगा), भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.03.2017 की पालना में निम्नानुसार निर्देश प्रभावी होंगे :-

➤ नियत कालीन मरम्मत (Periodical Maintenance)- सभी मौसम में उपयोगी बनाने हेतु सीसी सड़क एवं ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य में आवश्यक तकनीकी मापदण्ड अनुसार कार्य सम्पादन एवं पॉवर रोलर से optimum moisture content स्तर तक कुटाई आवश्यक है। इसी संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.11.2016 द्वारा भी महात्मा गांधी नरेगा के साथ कंवर्जेन्स करते हुये गैर-पीएमजीएसवाई बसावटों को एकल बारहमासी संपर्क सड़कों के लिए आवश्यक मापदण्ड एवं दिशा निर्देश है। इस क्रम में ग्रेवल सड़क कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के एक वर्ष पश्चात् ही आवश्यकता होने पर मरम्मत कराई जा सकेगी। इस के उपरान्त पहले वर्ष में 5 प्रतिशत एवं दूसरे व आगामी वर्षों हेतु प्रत्येक वर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत ग्रेवल सामग्री का उपयोग करते हुये ग्रेवल सड़को का रख-रखाव किया जा सकेगा।

➤ ग्रेवल सड़कों की अधिकतम आयु :- स्थायित्व समयावधि में सड़कों निर्माण के पुनरावर्त (repetitive) कार्य करवाये जाने के क्रम में ग्रेवल सड़क की स्थिति में न्यूनतम 5 वर्ष से पहले सड़क पुनरावर्त (repetitive) कार्य नहीं कराये जाने बाबत निर्देशित किया है अर्थात् ग्रेवल सड़क जिसका किसी भी योजना से उक्तानुसार मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है तो कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के पाँच वर्ष उपरान्त पुनरावर्त (repetitive) किया जा सकेगा। अतः ग्रेवल सड़कों जिनकी किसी भी योजना से मरम्मत नहीं की गई हो, की कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से अधिकतम आयु पाँच वर्ष निर्धारित की जाती है।


2. गाँवों के अन्दर नालियों के साथ आन्तरिक सड़क निर्माण एवं तकनीकी मापदण्ड :-

गांव की आन्तरिक सड़क मुख्य सड़क से जोडने वाली गांव की कॉलोनी/बस्तियों को जोडने वाली छोटी सड़के, जिनकी चौड़ाई स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। मुख्य आवागमन/बाजार की सड़क, जो कि गांव के एक छोर से दूसरे छोर को जोडती है एवं आवागमन का मुख्य मार्ग रहता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24.04.2012 के द्वारा गाँवों की आन्तरिक सड़क की चौड़ाई 3 मीटर निर्धारित की गई है। शेष चौड़ाई में सड़क निर्माण अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से कराई जा सकती है।

गांवों की उक्तानुसार मुख्य सड़क के समीप बस्ती/मौहल्ला/कॉलोनी को जोड़ने वाले रास्ते/गलियों आदि जिन पर सामान्यतया हल्का यातायात भार रहता है, को आंतरिक सड़क कहा जाता है। इन आंतरिक सड़कों में पूर्व में कोई खरंजा/ग्रेवल निर्मित है तो जीकेएन-2010 अनुसार बेस लेयर को छोड़कर 4 इंच मोटाई का 1:1.5:3 सीमेन्ट कॉन्क्रीट में टॉप लेयर निर्मित कराया जा सकेगा, लेकिन नवनिर्माण की स्थिति में आंतरिक सड़कों के लिए बेस लेयर 6 इंच की जगह 4 इंच 1:3:6 सीमेन्ट कॉन्क्रीट का प्रावधान करते हुए टॉप लेयर उक्तानुसार 4 इंच 1:1.5:3 सीमेन्ट कॉन्क्रीट का ही निर्मित कराया जाना निर्धारित किया जाता है।

आंतरिक सीमेन्ट सड़क की अधिकतम चौड़ाई 5.5 मीटर तक की सीमा तक ही अनुमत होगी। विशेष परिस्थितियों में सहायक अभियन्ता या उससे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर 5.5 मीटर से अधिक चौड़ाई की आंतरिक सीमेन्ट सड़कों के लिए 5.5 मीटर तक उक्तानुसार सीमेन्ट कॉन्क्रीट सड़क एवं शेष चौड़ाई में, यदि आवश्यक हो तो ग्रेवल सड़क/ईट, पत्थर, खरंजा/60 एमएम मोटी इंटर लॉकिंग सड़क अनुमत होगी।

3. सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा निर्मित कराई गई/अधीन सड़कों एवं उसके बर्म (पटरी) मरम्मत एवं झाड़ियां काटने का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिशा-निर्देशानुसार स्वीकृति उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भी सम्पादित कराये जा सकते हैं।
4. गावों में श्रमीको का नियोजन कर साफ-सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, इनकी बीएसआर/दर विश्लेषण का निर्धारण पर चर्चा।
  - गावों में श्रमीको का नियोजन कर साफ-सफाई की विभिन्न गतिविधियां हेतु बीएसआर/दर विश्लेषण का निर्धारण बाबत :-
    1. स्थानीय निकाय यथा - निकटतम नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका आदि में उनकी प्रचलित दरों में से 10 प्रतिशत ठेकेदार का लाभ कम कर अधिकतम दर सीमा निर्धारित की जावे।
    2. उक्तानुसार निर्धारित नगर निकायों की प्रचलित दरों से 10 प्रतिशत कम दर की सीमा में जिला दर निर्धारण समिति द्वारा पंचायत समितिवार दरों के निर्धारण के लिए अधिकृत किया जावे।
5. आम तौर पर गाँवों एवं ढाणियों में कदीमी रास्ते राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु वो लगातार उपयोग में आ रहे हैं। इन रास्तों में खरंजा बनाना हो या सड़क बनानी हो या सड़क बनानी हो तो खातेदार की सहमति से बनाने की अनुमति बाबत :-
  - विभागीय आदेश संख्या 26/2016 दिनांक 06.04.2016 की शर्त संख्या 13 के अनुसार "सड़क निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्तों के लिए भूमि से सम्बंधित कास्तकारों से सहमति, नियमानुसार शपथ पत्र के उपरान्त कार्य सम्पादन किया जा सकेगा" पूर्व में लागू है, जो महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित सभी विभागीय योजनाओं अन्तर्गत सम्पादित सड़क निर्माण कार्यों पर लागू होगा।


  
 (सुदर्शन सेठी) 13.4.2017  
 अतिरिक्त मुख्य सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त, आयोजना, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग/ग्रा.वि.एवंपंचा.राज.विभाग/ सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), समस्त, राजस्थान।
5. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
9. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अधीक्षण अभियंता/अधिशायी अभियंता, ग्रावि एवं पंरावि/ईजीएस/जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
13. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. अधिशायी अभियंता, ईजीएस/अभियान्त्रिकी/जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, जि.प. समस्त राजस्थान।
15. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक सहायक/कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि